

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 54

दिनांक : 12.10.2026

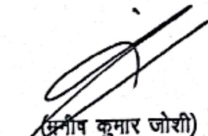
कार्यालय आदेश

मैं मनीष कुमार जोशी, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय से पूर्व में समय-समय पर प्रसारित विभिन्न कार्यालय आदेशों को संशोधित करते हुए उनके प्रदत्त दाण्डिक क्षेत्राधिकार संबंधी विवरण को समेकित किए जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रशासनिक कारणों से दाण्डिक मामलों की सुनवाई के संबंध में निम्न सारणी के कॉलम संख्या 02 में वर्णित न्यायालयों को कॉलम संख्या 03 में वर्णित पुलिस थानों से संबंधित दाण्डिक मामलों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त/परिवर्तित करने का आदेश निम्न प्रकार प्रसारित करता हूँ :-

क्र.सं.	न्यायालय	नवसृजित क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली क्रम संख्या 02, उदयपुर	पुलिस थाना घासा, पुलिस थाना मावली, आबकारी अधिनियम (न्यायालय ऐसीजेएम मावली 02 के क्षेत्राधिकार में उद्भूत प्रकरण),
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली	पुलिस थाना फतहनगर एवं आबकारी अधिनियम (न्यायालय जेएम मावली के क्षेत्राधिकार में उद्भूत प्रकरण)

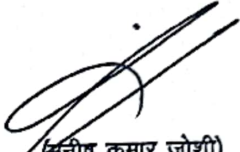
नोट :- 1. यह आदेश दिनांक 13.10.2026 से प्रवर्तनीय होगा। उक्त दिनांक से पूर्व तक की प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद/चालान आदि में समस्त कार्यवाहियां पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के द्वारा की जावेगी व संबंधित नतीजे भी पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। दिनांक 13.10.2026 एवं उसके बाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद आदि में समस्त कार्यवाहियां इस आदेश द्वारा क्षेत्राधिकारिता प्राप्त करने वाले न्यायालय के द्वारा की जावेगी तथा उनके संबंधित नतीजे भी संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे।

2. उपर्युक्त आदेश का प्रभाव किसी विशेष अधिनियम के तहत संस्थित होने वाले प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता पर नहीं पड़ेगा, जिनके संबंध में पूर्व में पृथक से आदेश किए गए हैं अथवा विधि में जिनका विशेष प्रावधान है।


(मनीष कुमार जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जरिए ई-मेल प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर।
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को अधीनस्थ थानाधिकारियों को सूचित करवाये जाने हेतु।
4. उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ दण्डाधिकारी न्यायालय।
5. उप निदेशक, अभियोजन विभाग, उदयपुर।
6. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन उदयपुर।
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन मावली, जिला उदयपुर।
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर को जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(मनीष कुमार जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर 01/10/26